

कार्यालय: संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पत्रांक/सी0बी0एस0ई0/2391-97 /2021-22/ दिनांक 26/08/2021

संसोधन आदेश

कार्यालय के पत्रांक:मा0शि0(एन0ओ0सी0) अनुभाग/1760-66/2021-22 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जी0डी0 इण्टरनेशनल स्कूल हत्सारी रोड़, एटा को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मण्डलीय समिति द्वारा भू-अभिलेखों में आंशिक कमी होने के कारण सशर्त निर्गत किया गया था, तथा विद्यालय को समस्त भू-अभिलेख दिनांक 20 अगस्त, 2021 तक जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। विद्यालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2021 को समस्त भू-अभिलेख कार्यालय में जमा किये गये।

अतः कार्यालय से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में भू-अभिलेखों से सम्बन्धित शर्तें (क0सं0-14) तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी की जाती हैं।

संलग्नक:- अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा की सेवा में सूचनार्थ एवं शासनादेश संख्या-228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31 जनवरी 2019 के क्रम में प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. संयुक्त सचिव(शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा को इस आदेश के साथ कि शासनादेश, संख्या- 228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31.01.2019 के अनुपालन में प्रमाणीकरण की कार्यवाही करें।
7. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य जी0डी0 इण्टरनेशनल स्कूल हत्सारी रोड़ अलीगंज, एटा।

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान समाप्त हो जायेगा।

11. निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निम्न वर्ग के बच्चों का प्रवेश करना अनिवार्य होगा।
12. संस्था की वार्षिक आय-व्यय का री0ए0 द्वारा प्रमाणित वार्षिक लेखा-जोखा प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस कार्यालय को उपलब्ध कराया जाये।
13. स्कूल सुरक्षा नीति 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।
14. अनापत्ति प्रमाण पत्र इस शर्त के साथ दिया जाता है कि विद्यालय दिनांक 20.08.2021 तक समस्त खतौनियां मानकानुसार 6000 वर्गमी0 भूमि का स्यूटेशन व सत्यापन सहित प्रस्तुत नहीं करते हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र निरस्त माना जायेगा।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूँकि या शिथिलता दर्शायी जाती है, तो राज्य सरकार / मण्डलीय समिति द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

पृष्ठांकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिरूपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
2. जिलाधिकारी, एटा की सेवा में सूचनार्थ एव शासनादेश संख्या-228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31 जनवरी 2019 के क्रम में प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. संयुक्त सचिव(शिक्षा-7 अनुभाग)उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक)उत्तर प्रदेश लखनऊ।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा को इस आदेश के साथ कि शासनादेश, संख्या- 228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31.01.2019 के अनुपालन में प्रमाणीकरण की कार्यवाही करें।
6. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य जी0डी0 इण्टरनैशनल स्कूल हत्सारी रोड अलीगढ़, एटा।

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़

कार्यालय: संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पत्रांक/सी०बी०एस०ई०/2391-97 /2021-22/ दिनांक 26/08/2021

संसोधन आदेश

कार्यालय के पत्रांक:मा०शि०(एन०ओ०सी०) अनुभाग/1760-66/2021-22 दिनांक 30.07.2021 द्वारा जी०डी० इण्टरनेशनल स्कूल हत्सारी रोड़, एटा को सी०बी०एस०ई०, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र मण्डलीय समिति द्वारा भू-अभिलेखों में आंशिक कमी होने के कारण सशर्त निर्गत किया गया था, तथा विद्यालय को समस्त भू-अभिलेख दिनांक 20 अगस्त, 2021 तक जमा कराने हेतु निर्देशित किया गया था। विद्यालय द्वारा दिनांक 18 अगस्त, 2021 को समस्त भू-अभिलेख कार्यालय में जमा किये गये।

अतः कार्यालय से निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र में भू-अभिलेखों से सम्बन्धित शर्त (क०सं०-14) तत्काल प्रभाव से निष्प्रभावी की जाती हैं।

संलग्नक:- अनापत्ति प्रमाण पत्र आदेश।

भवदीय

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़

पृष्ठोंकन संख्या एवं तिथि यथोपरि।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद् शिक्षा केन्द्र-2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।
2. आयुक्त महोदय, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़।
3. जिलाधिकारी, एटा की सेवा में सूचनार्थ एवं शासनादेश संख्या-228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31 जनवरी 2019 के क्रम में प्रमाणीकरण की कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
4. संयुक्त सचिव(शिक्षा-7 अनुभाग) उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5. शिक्षा निदेशक(माध्यमिक) उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. जिला विद्यालय निरीक्षक, एटा को इस आदेश के साथ कि शासनादेश, संख्या- 228/15-7-2019 माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-7 लखनऊ दिनांक-31.01.2019 के अनुपालन में प्रमाणीकरण की कार्यवाही करें।
7. प्रबन्धक/प्रधानाचार्य जी०डी० इण्टरनेशनल स्कूल हत्सारी रोड़ अलीगंज, एटा।

(जितेन्द्र कुमार मलिक)

सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति) एवं
संयुक्त शिक्षा निदेशक, अलीगढ़ मण्डल, अलीगढ़